रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022022-233440
CG-DL-E-15022022-233440

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943
No. 124] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 126(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 758(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको प्रारूप नियम अंतर्विष्ट राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 25 अक्टूबर, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया था ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 137 के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे :-

"(7) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् मोटरसाइकिल चालक को नौ माह से चार वर्ष की आयु के बालक को पीछे की सीट पर ले जाते समय निम्नलिखित सुरक्षापायों का पालन सुनिश्चित करना होगा, अर्थात्:-

(i) चार साल से कम उम्र के बालकों के लिए, बालक को मोटरसाइकिल के चालक से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस का उपयोग किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :- सेफ्टी हार्नेस बालक द्वारा पहना जाने वाला एक वेस्ट है, जो सामायोजित करने योग्य होगा, जिसमें वेस्ट से जुडी पट्टियों की एक जोडी और चालक द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर लूप्स होंगे द्य इस तरह, बच्चे का ऊपरी धड़, चालक से सुरक्षित रूप से जुड़ा होगा। इसकी यही विशेषता है जिसके द्वारा ध्यान रखा जाता है वह यह है कि पट्टियों को बनियान के पीछे से जोड़कर और पट्टियों को वेस्ट के ऊपर से पार करता है ताकि दो बड़े क्रॉसिंग-ओवर लूप बन जाएं जो यात्री के पैरों के बीच से गुजरते हैं और बालक दुपहिया की सीट पर बैठ जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्देश विहित किए जाने तक सेफ्टी हार्नेस सहित सुरक्षात्मक गियर निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा :

सेफ्टी हार्नेस के विनिर्देश

(क) हल्का वहन, समायोज्य, जलरोधक और टिकाऊ ;

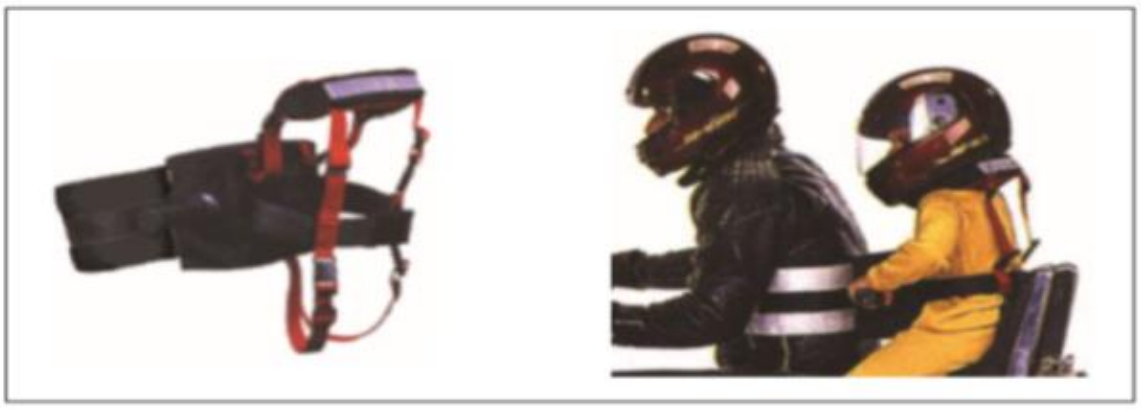
(ख) भारी नायलॉन/पर्याप्त कुशनिंग युक्त उच्च घनत्व फोम वाली मल्टीफिलामेंट सामग्री ;

(ग) 30 किलो तक भार वहन करने की क्षमता के लिए डिजाइन किया जाएगा।

<u>उदाहरण के लिए आकृति :-</u>







(ii) क्रैश हेलमेट: चालक यह सुनिश्चित करेगा कि नौ मास से 4 वर्ष की आयु के बीच के पीछे बैठने वाले बालक सवारी को अपना ऐसा क्रैश हेलमेट उस समय तक अवश्य पहनना चाहिए जो [एएसटीएम 1447]/ [यूरोपियन (सीईएन) बीएस ईएन 1080/बीएस ईएन 1078] का अनुपालन करता हो और उससे सिर पर फिट बैठता हो या साइकिल हेलमेट पहनना चाहिए जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्देश निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(iii) चार वर्ष तक के बालक को पीछे बिठाने वाले मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।"।

[फा. सं. आरटी-11028/01/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 48(अ), तारीख 27 जनवरी, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2022

G.S.R. 126(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules,1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 758(E), dated the 21st October, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 25th October, 2021;

AND whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (aa) of section 137 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 138, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(7) After one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2022, the driver of a motorcycle shall ensure the following safety measures while carrying a child between the age of nine months and four years, on the vehicle as a pillion , namely: -

(i) For children below four years, Safety harness shall be used for attaching the child to the driver of the motorcycle.

Explanation.- Safety harness is a vest to be worn by the child, which shall be adjustable, with a pair of straps attached to the vest and forming shoulder loops to be worn by the driver. This way, the upper torso of the child is securely attached to the driver. A feature by which this is achieved is by attaching the straps to the back of the vest and crossing the straps over the vest so that two large crossing-over loops are formed

that pass between the legs of the passenger and child sits on the seat of the two-wheeler. The protective gear including Safety harness shall meet the following requirements till such time the specifications are prescribed by the Bureau of Indian Standards under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):-

Specifications of Safety harness

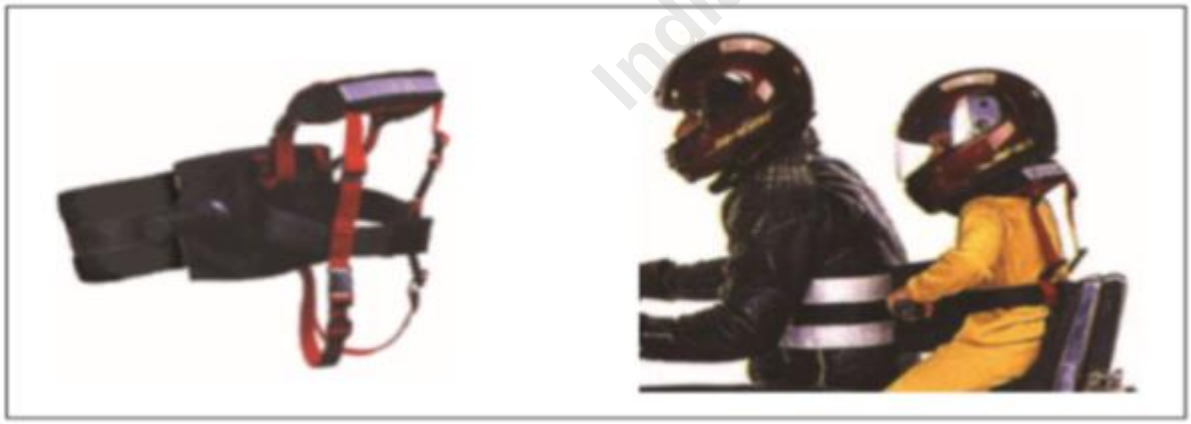
(a) Light weight, adjustable, waterproof and durable;

(b) Heavy nylon/ multi-filament nylon material with high density foam with sufficient cushioning;

(c) Shall be designed to hold weight upto 30 kg.

The figures are for illustration





(ii) Crash helmet: The driver shall ensure that the child pillion passenger aged between nine months and four years must wear his own crash helmet which fits his head or wear bicycle helmet complying with [ASTM 1447]/ [European (CEN)BS EN 1080/BS EN 1078] till such time that the specifications are prescribed by the Bureau of Indian Standards under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

(iii) The speed of the motorcycle with the child upto age four years being carried as a pillion, shall not be more than 40 kmph.".

[F. No. RT-11028/01/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 48(E), dated the 27th January, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.15 22:38:54 +05'30'